

## कार्यालय, मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी।

पत्रांक—जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 / 7087

दिनांक 8/3/2020

1. संजय कुमार (काउन्सलर)  
टी०सी०सी०,  
जिला चिकित्सालय पुरुष  
बाराबंकी।
2. गजाला फातिमा (काउन्सलर)  
एन०सी०डी० वलीनिक,  
जिला चिकित्सालय पुरुष  
बाराबंकी।

विषय—जनपद बाराबंकी में कोरोना वाइरस संक्रमण के बचाव हेतु पान—मसाला एवं तम्बाकू के विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय को प्रतिबन्धित एवं तम्बाकू उन्नमूलन हेतु काउन्सलिंग किये जाने के सम्बन्ध में।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पत्रांक संख्या—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 / 8369 लखनऊ दिनांक—27.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपको आदेशित किया जाता है कि जनपद में धूप्रपान रहित तम्बाकू का विभिन्न रूप से सेवन करते हैं, जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान मसाला का सेवन कर इधर—उधर थूकने से कोरोना वायरस (COVID-19) के फैलने में सहायक हो सकता है, तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्राप्त दिशा—निर्देशों से एन०सी०डी० से होने वाली बीमारियों में भी तम्बाकू नुकसानदायक है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि तम्बाकू जनसाधारण को उपभोग न किये जाने हेतु प्रेरित किये जाने के सम्बन्ध में एवं तम्बाकू विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

*f*  
मुख्य चिकित्साधिकारी  
बाराबंकी।

पत्रांक—जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 /

तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला अधिकारी, बाराबंकी।
2. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय पुरुष, बाराबंकी।
7. जिला खाद्य अधिकारी, बाराबंकी।
8. जिला औषधि अधिकारी, बाराबंकी।
9. उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
10. रिदम फाउन्डेशन, बाराबंकी।

*/*  
मुख्य चिकित्साधिकारी  
बाराबंकी।